एक नजर में

जिला स्तरीय अंगीकार अभियान 29 से

गुना। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को प्रदाय करने हेतु शासन द्वारा 04 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत अंगीकार अभियान 25 संचालित किया जा रहा हैं। इसी क्रम में जिला स्तर पर 29 अक्टूबर 25 को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत विश्राम गृह (शुभ विदाई गार्डन) में जिला स्तरीय अंगीकार अभियान का आयोजन किया जायेगा। अभियान का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों को समावेशित कर योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचाने के लिए विशिष्ट प्रयास किया जायेगा।

मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित

गुना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, म्याना में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा गर्भवती एवं प्रसवोत्तर महिलाओं सहित आमजन की मानसिक स्थिति की जांच एवं परामर्श प्रदान करना रहा। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ से डॉ. आर. एस. भाटी उपस्थित रहे। साथ ही चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वाति शर्मा एवं केंद्र का समस्त स्टाफ एवं डॉक्टरगण भी शिविर में सक्रिय रूप से शामिल रहे।शिविर में कुल 75 हितग्राही, जिनमें गर्भवती महिलाएं, प्रसवोत्तर महिलाएं एवं अन्य लाभार्थी शामिल रहे, जिनकी मानसिक स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक परामर्श दिया गया। डॉ. भाटी ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है, और समय पर पहचान व उपचार से व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकता है। शिविर के सफल संचालन में स्वास्थ्य केंद्र की टीम का विशेष योगदान रहा।

आधा गांव डर के साए में पलायन कर चुका, नेता-अफसर पहुंचे तो फूटा दर्द

अब तक तीन गिरफ्तार, गणेशपुरा में किसान की हत्या के बाद सियासत और सिस्टम पर सवाल

नवभारत न्यूज

गुना 28 अक्टू. का। जिले के फतेहगढ़ थानांतर्गत ग्राम गणेशपुरा में किसान रामस्वरूप धाकड़ की भाजपा नेता द्वारा थार कार से कुचलकर हत्या और उसकी बेटियों पर हुए अमानवीय हमले की घटना के बाद गांव का भयावह सच अब पूरे प्रदेश के सामने खुलकर आ गया है।

तीन दिनों तक गांव में पसरी खामोशी, टूटे घरों की दहशती हालत और महिलाओं-युवाओं की कांपती आवाज़ों ने यह साफ कर दिया कि यह केवल एक जमीनी विवाद नहीं था, बल्कि गांव में सालों से पनपे आतंक के साम्राज्य का विस्फोट था, जिसने अंततः एक किसान की जान और कई परिवारों की जीवंत सुरक्षा छीन ली। घटना के तीसरे दिन गांव पहुंचने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राघौगढ़ विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह, बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रदुम्मन सिंह तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, आईजी अरविंद सक्सेना, संभागायुक्त मनोज खत्री, कलेक्टर किशोर कन्याल और एसपी अंकित सोनी सहित पूरा प्रशासन जहाँ पीड़ित परिवार से मिला, वहीं ग्रामीणों ने नेताओं और अधिकारियों के सामने आरोपी परिवार के आतंक की परतें खोल दीं। गांव के लोगों ने बताया कि आरोपी महेंद्र नागर और उसका परिवार सालों से पूरे क्षेत्र में दबंगई, जमीन कब्जाने, अवैध शराब-गांजा कारोबार और मप्र-राजस्थान सीमा को पीछे धकेलकर सरकारी जमीन हड़पने तक के संगठित अपराधों में शामिल रहा। दहशत ऐसे थी कि आधे गांव ने अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़ दिया। कई वर्षों से यह आतंक चलता रहा, पर शासन-प्रशासन के स्तर पर दबाव और डर के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि भाजपा का बूथ अध्यक्ष महेन्द्र नागर का राजनीतिक रसूख था। उसके भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अब फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारी होंगे सस्पेंड- ऊर्जा मंत्री तोमर

इधर गणेशपुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रदुम्मन सिंह तोमर ने बताया कि गणेशपुरा में मृतक परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। अभी तक तीन आरोपी गिरफ्तार किए चुके हैं। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तत्काल इस घटना पर संज्ञान लिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने संज्ञान लिया। परिजनों से भेंट की है। हमारी सरकार अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है। सरकार द्वारा कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसके परिणाम अब जल्द दिखेंगे। प्रथम दृष्टया जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश संभागायुक्त-आईजी एवं कलेक्टर-एसपी को दिए हैं। पीड़ित परिवार और बच्चियों से मैं मिला लूं। संभागीय स्तर से लेकर जिला के अधिकारी खड़े हैं।

मप्र-राजस्थान के अधिकारियों के साथ लगाएं गांव में समस्या निवारण कैंप-संभागायुक्त खत्री

वहीं संभागायुक्त मनोज खत्री ने बताया कि हम लोगों को प्रयास है जो भी सहायता परिजनों, बच्चों को दी जा सकती है वह दी जाए। आर्थिक सहायता की कार्रवाई की गई है। मृतक रामस्वरूप नागर की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उन्हें न्यूरो संबंधी दिक्कत है।

उनके अच्छे ईलाज का प्रयास हमारा रहेगा। उनके भाई से भी बात की है। हमारे साथ प्रदेश शासन के मंत्री प्रदुम्मन सिंह तोमर भी आए हैं। उनके द्वारा भी पीड़ित परिवार से चर्चा की है। हमारी कोशिश है कि पीड़ित परिवार से जो भी इश्यू है उसे दूर किया जाए। उक्त गणेशपुरा गांव का कुछ हिस्सा राजस्थान से लगा है। हमारी कोशिश है कि गुना और बारां राजस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर कैंप लगाकर अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस दौरान यहां वन विभाग, अतिक्रमण, बिजली कंपनी संबंधी समस्याएं हैं। पीड़ित परिवार के साथ शासन है, जो बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे।

विवाद राजस्थान की 6 बीघा जमीन का

दरअसल जिस जमीन को लेकर यह पूरा विवाद है, वह राजस्थान की है। बारां जिले के नाहर गढ़ थाना इलाके के पचलावडा गांव में मृतक रामस्वरूप नागर के मामा पप्पू नागर की छह बीघा जमीन है। आरोप है कि कुछ समय पहले आरोपियों (जो पचलावडा के ही रहने वाले हैं) ने मामा को शराब पिलाकर 70 हजार रुपए में जमीन का गिरवी नामा लिखवा लिया, लेकिन केवल 22 हजार रुपए ही दिए। हालांकि, खेती रामस्वरूप ही करते रहे, जिस कारण विवाद चल रहा था।

जल्द गिरफ्त में होंगे आरोपी- आईजी

इस मौके पर आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि निश्चित रूप से यह दुखद घटना है। जिसमें फरियादी पक्ष से बात की है और घटना स्थल का भी मौका मुआयना किया है। एफआईआर के पश्चात 14 में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गणेशपुरा गांव सरहद का गांव है। इसलिए मप्र और राजस्थान की ज्वाईंट आठ पुलिस टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है पूरे आरोपी शीघ्र से शीघ्र पकड़े जाए। मैंने परिवार को विश्वास दिलाया है कि उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा यहां दी जाएगी। पुलिस लगातार यहां पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगी। किसी भी असामाजिक तत्व को चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ा हो उसे नहीं बख्या जाएगा। हमारी कोशिश है कि गांव में पूर्ण रूप से शांति रहे और लोग सुरक्षित महसूस करें। मैंने पीड़ित परिवार और गांव के लोगों के साथ अपना नंबर शेयर किया है। आवेदक द्वारा आठ दिन पूर्व दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं।

बीजेपी ने नागर को पार्टी से किया तत्काल प्रभाव से निष्कासित

मामले में आनन-फानन में भाजपा संगठन ने भी कार्रवाई की है। जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार ने बूथ अध्यक्ष महेंद्र नागर को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि महेंद्र नागर द्वारा पारिवारिक विवाद में किया गया आपराधिक कृत्य संगठन की मर्यादा, सभ्यता और दायित्वों के प्रतिकूल है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उन्हें संगठन से बाहर किया गया।पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष हेमन्त खण्डेलवाल, संगठन महामंत्री हितानन्द शर्मा, संभाग प्रभारी विजय दुबे और प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को भी प्रेषित की गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अपराध और हिंसा में लिप्त किसी व्यक्ति को संगठन में स्थान नहीं दिया जाएगा।

मृतक मदद मांग रहा था लेकिन लोग सामने नहीं आए-कलेक्टर

वहीं कलेक्टर किशोर कन्याल के अनुसार हम मृतक परिवार और गांव वालों से मिलने आए हैं।इस दौरान कुछ अन्य समस्याएं सामने आई है। इसके लिए जल्द शिविर लगाएंगे। जिले में पहले से ही मोबाईल कोर्ट के माध्यम से अतिक्रमण संबंधी समस्याओं को निपटारा किया जा रहा है। रिस्पान्सरशिफ योजना के तहत बच्चों को 18 साल तक शिक्षा दिलाएंगे। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। चूंकि बॉर्डर जिले का मामला है। इसलिए दोनों जिले के अधिकारी आपस में तालमेल बनाकर काम करेंगे। मैंने भी बारां कलेक्टर से चर्चा की है। यह बड़ा संवेदनशील है कि मृतक लोगों से काफी देर तक मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन कोई सामने नहीं आया। बच्चियों की भी काउंसिलिंग कराएंगे।

सिंधिया आकर देखे उनके नाम कैसे कार्यकर्ता दहशत फैला रहे हैं : दिग्विजय सिंह

इस मौके पर गणेशपुरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। इस मौकेपर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सहानुभूति प्रकट करते हुए सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह राज्य में कानून-व्यवस्था की लचर स्थिति को दशार्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल रहे हैं। इस मौके पर श्री सिंह के साथ बातचीत में ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि आरोपी परिवार की पूरे गांव में दहशत है। उनका आतंक का आलम यह है कि आधा गांव अपने जमीनों को औने-पौने दाम पर बेचकर भाग रहे हैं। यहीं नहीं आरोपियों ने राजस्थान बॉर्डर पर लगे मप्र के पहचान पोल को पीछे धाकेलकर मप्र की जमीन को राजस्थान में कर लिया।यहां वह अवैध गांजा, शराब का काम करते हैं और गांव की एक किराना दुकान से धड़ल्ले बेच रहे थे।

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मांग करता हूँ कि वह स्वयं यहां आकर देखे कि उनके नाम पर भाजपा कार्यकर्ता कैसी दहशत फैला रहे हैं। क्षेत्र में जो अराजकता का माहौल है वह सिंधिया के संज्ञान में होना चाहिए।

किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन, एसआईटी गठित करने और 50 लाख के मुआवजे की मांग

गणेशपुरा गांव में किसान रामस्वरूप धाकड़ की हत्या के मामले में बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों तथा सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 26 अक्टूबर को गांव में बीजेपी के पूर्व बूथ अध्यक्ष महेंद्र नागर ने अपने 13-14 साथियों के साथ मिलकर पहले किसान रामस्वरूप धाकड़ पर लाठियों, डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, इसके बाद उन्हें अपनी थार जीप से कई बार कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के दौरान मृतक की बेटी एवं भतीजी के साथ मारपीट कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और परिवार को घायल को अस्पताल ले जाने से भी रोका गया। आरोपियों द्वारा हवाई फायरिंग कर पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने की बात भी कही गई है। किसान संगठन ने बताया कि महेंद्र नागर पर पहले भी दबंगई, भूमि कब्जे और बिजली चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं, जिनकी वजह से आसपास के लगभग 25 किसान अपनी जमीन छोडकर पलायन कर चुके हैं। किसान सभा ने मांग की कि मुख्य आरोपी महेंद्र नागर सहित सभी आरोपियों पर हत्या, महिलाओं पर अत्याचार, आपराधिक साजिश और हथियार अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तारी की जाए और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु एक विशेष जांच दल गठित किया जाए। वहीं मृतक परिवार को 50 लाख का मुआवजा एवं एक सदस्य को शासकीय नौकरी की मांग की।

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुई महापर्व छठ पूजा

गुना। आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा का मंगलवार को विधि-विधान के साथ समापन हुआ। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व का अंतिम चरण उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पूरा हुआ। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत से जुड़े परिवारों ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव से इस पर्व को मनाया। सुबह होते ही सिंगवासा तालाब का माहौल आस्था के रंग में रंग गया, जहां महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान भास्कर और छठ मैया की पूजा-अर्चना में लीन रहीं। इस अवसर पर नगरपालिका और प्रशासन द्वारा तालाब परिसर में टेंट व्यवस्था, रोशनी, साफ-सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। तालाब के किनारों पर आकर्षक सजावट की गई, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी भी तरह की असुविधा न हो। सुबह करीब 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का सिंगवासा तालाब पहुंचना शुरू हो गया था। छठ व्रती महिलाएं सूप और दौरा में प्रसाद, फल, गन्ना, नारियल आदि लेकर घाट पर पहुंचीं और जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर चमकी, सभी ने सामूहिक रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। छठ पर्व के दौरान व्रतधारियों ने पूरी निष्ठा के साथ कठोर व्रत का पालन किया। यह व्रत परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समाज की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ माता की आरती की गई और प्रसाद वितरण के साथ पर्व का समापन हुआ। इस दौरान भक्ति गीतों, पारंपरिक स्वर और वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया।

मोबाईल कोर्ट में किया जा रहा भूमि संबंधित विवादों का निराकरण

गुना। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में 'मोबाईल कोर्ट' अंतर्गत भूमि संबंधी विवादों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी महोदय राघौगढ़ अमित कुमार सोनी के मार्गदर्शन में आवेदक पुरन पुत्र इमरत जाति अहिरवार निवासी नलखेड़ा द्वारा ग्राम नलखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नंबर 326 के पास शासकीय नाले से रास्ता अनावेदक राधेश्याम यादव द्वारा रोकने के सम्बन्ध में आवेदन दिया था जिसका निराकरण हेतु राजस्व दल एवं इस मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही में तहसीलदार डॉ उदयसिंह जाटव, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोली,राजस्व निरीक्षक लल्लू सिंह भील,हल्का पटवारी नैनी जैन, पटवारी राकेश यादव एवं पुलिस उपस्थित रही।

स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली बिलों में धांधली रोकने की मांग पर प्रदर्शन

गुना। राज्यव्यापी विरोध दिवस के आह्वान पर मंगलवार को मध्यप्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने घरों में लगे स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाने, बिजली बिलों में की जा रही धांधली पर रोक लगाने और बिलिंग व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान उप महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह को शहर के कई उपभोक्ताओं ने अपने बढ़े हुए बिजली बिल ज्ञापन के साथ सौंपे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी के लोकेश शर्मा ने कहा कि गुना सहित पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को सामान्य उपयोग के बावजूद 5000 से 10000 रुपये तक के बिल आ रहे हैं। कई

उपभोक्ताओं को तो एक ही माह में दो-दो बार बिल जारी कर दिए गए। समय पर बिल जमा न करने पर पेनल्टी के साथ बिल और बढ़ रहा है, वहीं कई स्थानों पर बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन तक काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के कारण बिल की पर्ची न आने से लोगों को वास्तविक बिल की जानकारी नहीं होती और 3-4 माह बाद एक साथ हजारों का बिल थमा दिया जाता है, जिससे आमजन की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समर सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था आम जनता के हितों के खिलाफ है और बिजली के निजीकरण को बढ़ावा देती है। निजी कंपनियां प्रीपेड स्मार्ट मीटरों के माध्यम से आम उपभोक्ता की गाढ़ी कमाई पर सीधा प्रहार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली सेवा को व्यापार का माध्यम बनाकर कंपनियों के हितों को मजबूत कर रही है, जिससे जनता परेशान है। ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्र भदौरिया ने कहा कि बिजली एक मूलभूत सेवा है। इसे निजी हाथों में देना जनहित के विपरीत है। स्मार्ट मीटर के कारण लोगों को बिना बिजली उपयोग किए भी बिल आ रहे हैं, कई घर बंद होने पर भी हजारों रुपये के बिल सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन में राकेश मिश्रा, आनंद सक्सेना, मनोज रजक और एड. सीमा राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन विकास बंसल ने किया। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर स्मार्ट मीटर जल्द नहीं हटाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी बिजली कंपनी की होगी। वहीं उप महाप्रबंधक राजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल अधिक आए हैं, उनकी शिकायत पर जांच तथा आवश्यक होने पर चैक मीटर लगाए जाएंगे।

ज्ञापन मंदिर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग, कोई नाली के पानी के निकास में बाधा से परेशान दिखा

विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन

गुना। कलेक्टोरेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। किसी ने मंदिर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की, तो कोई नाली के पानी के निकास में बाधा से परेशान दिखा। वहीं कई ग्रामीणों ने आवागमन के शासकीय मार्ग पर हुए कब्जे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सभी ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई।

रास्ता चालू कराने डुंगासरा के ग्रामीणों ने दिया आवेदन

जनसुनवाई कार्यक्रम में मंगलवार को ग्राम ड्रगासरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मंदिर भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के शिव मंदिर

की माफी भूमि सर्वे नंबर 516 सहित कई खसरा नंबरों में कुल लगभग 20 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में मंदिर के नाम दर्ज है। लेकिन पूर्व पुजारी हरिशंकर की मृत्यु के बाद कुछ लोगों द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त लोगों ने न केवल मंदिर की भूमि पर कब्जा किया है, बल्कि मंदिर आने-जाने वाले मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया है। इससे मंदिर भक्तों और ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पुराने मंदिर के टूटने के बाद चंदा एकत्रित कर लगभग 20 लाख रुपए की लागत से नया मंदिर बनाया गया है, रास्ते पर कब्जा होना धार्मिक आस्था पर आघात है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की कि मंदिर की भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाए, रास्ता पूर्ववत खोला जाए और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

कॉलोनाईजर की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे पिपरोदा खुर्द के ग्रामीण

इसके अलावा ग्राम पिपरोदा खुर्द के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासकीय आम रास्ते को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक पुराना शासकीय आम मार्ग है, जिसका उपयोग वर्षों से सभी ग्रामीण अपने आवागमन के लिए करते आए हैं। इसी रास्ते से गांव में गाडियां, बैल-भैंसे और मवेशी भी निकलते थे, लेकिन हाल ही में गांव के ही अनावेदक अखिलेश जैन कॉलोनाईजर कॉलोनी वाले द्वारा इस आम रास्ते पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार अखिलेश जैन ने रास्ते पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। इसके कारण ग्रामीणों को खेतों और अन्य स्थानों पर आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। कई परिवारों को अपने दैनिक कार्यों के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और श्रम दोनों की हानि हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी छोटी-छोटी जमीनों पर खेती कर जीवन-यापन करते हैं, ऐसे में इस समस्या ने उनके लिए अतिरिक्त कठिनाइयां खड़ी कर दी हैं। ग्रामीण कैलाश सीताराम, जितेंद्र, रमेश, नानक, विनोद, लक्ष्मण सिंह, मनीष, लालाराम, मराज कुशवाह सहित अन्य ग्रामीणों ने निवेदन किया कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से मौके का निरीक्षण कर कब्जा हटवाए, ताकि शासकीय आम रास्ता फिर से आवागमन सुचारु हो सके।

रोटरी रॉयल के संचालित साईं दृष्टि स्कूल में मनाया ध्रुव और निहिल का जन्मदिन

गुना। साई दृष्टि स्कूल में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ शीतल ट्रांसपोर्ट कंपनी के रितेश जैन ने अपने बेटे ध्रुव और भतीजे निहिल का जन्मदिन मिलकर मनाया। उन्होंने बच्चों के बीच पहुंचकर केक काटा और सभी बच्चों को उपहार वितरित किए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया गया, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। कार्यक्रम के दौरान रितेश जैन और उनके परिवार ने सभी बच्चों के साथ समय बिताया और उनकी देखभाल तथा शिक्षण कार्य में लगे विद्यालय के प्रयासों की सराहना की।किशोर गुरुजी को समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रोटरी रॉयल के अध्यक्ष सौरभ जैन ने ध्रुव और निहिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए शीतल परिवार का स्वागत किया। वहीं रोटरी रॉयल के सचिव जितेंद्र वर्मा ने कार्यक्रम में शामिल सभी सदस्यों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान रोटरी रॉयल के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी, जिला गुना

प्रकरण क्रमांक 0069/स-149/2025-26
(विज्ञप्ति)

आवेदकगण नन्दनी राठौर पुत्र श्री रमाकान्त राठौर (आयु 25 वर्ष) निवासी साहू धर्मशाला के पीछे, दुर्गा कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना (म.प्र.) एवं प्राशू जैन पुत्र श्री प्रदम जैन (आयु 26 वर्ष) निवासी साहू धर्मशाला के पीछे त्रिमूर्ति कॉलोनी गुना तहसील व जिला गुना (म.प्र.) द्वारा आधार कार्ड, शपथ पत्र तथा उचित शीर्ष में 100 रूपये का चालान आदि दस्तावेज पेश कर मय साक्षियों सहित विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा-5 के तहत आशयित विवाह कराये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि किसी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वह इस संबंध में दिनांक 17.11.2025 तक अपनी आपत्ति अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला गुना के कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से 06:00 बजे तक दर्ज करा सकते है। नियत दिवस व्यतीत होने पर किसी प्रकार की शिकायत / आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

(अखिलेश कुमार जैन)
अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला गुना म.प्र.